

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
रिट याचिका (टी) संख्या 4491/2023

.....

विवेक नारसरिया, पिता- राज कुमार नारसरिया, निवासी- ईशान अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 201, लेक एवेन्यू, रिलायंस मार्ट के पीछे, काठार गोंडा, कांके रोड, मिसिरगोंडा, डाकघर- गांधी नगर, थाना- गोंडा, जिला- रांची-834008, झारखंड ।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. राज्य कर आयुक्त, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, रांची-834004, झारखंड ।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, रांची संभाग, रांची, जिसका कार्यालय सिविल कोर्ट के पास, रांची, कचहरी, डाकघर- जी.पी.ओ., थाना- कोतवाली, रांची-834001, झारखंड ।
4. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसका कार्यालय सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, 5ए, महात्मा गांधी रोड, डाकघर- चुटिया, थाना- डोरंडा, जिला- रांची 834001, झारखंड।
5. वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, जीएसटी खुफिया निदेशालय, क्षेत्रीय इकाई, जमशेदपुर, दूसरी एवं तीसरी मंजिल, शौर्य ट्रेड सेंटर, 159, धालभूम रोड, डाकघर एवं थाना- साकची, जमशेदपुर- 831001, झारखंड ।

..... प्रतिवादी

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय
माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक रोशन

याचिकाकर्ता की ओर से

: श्री नितिन कुमार पसारी,
सुश्री सिधि जालान
शुभम चौधरी, अधिवक्ता

प्रतिवादी नंबर 1 से 3 की ओर से : श्री सचिन कुमार, एएजी-2

श्री रवि प्रकाश मिश्रा, ए.सी. एएजी-2

प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से:

श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी नंबर 5 की ओर से:

श्री रत्नेश कुमार, वरिष्ठ स्थायी वकील

.....

आरक्षित: 28.11.2023

उच्चारित: 15/01/2024

निर्णय

श्री दीपक रोशन, ज. इस याचिका को याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल किया है:-

(क) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, धारण करने और यह घोषित करने के लिए कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 के साथ-साथ झारखंड राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाने पर, जब एक प्राधिकरण द्वारा जांच/सर्च और जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो वह संपूर्ण जांच प्रक्रिया को पूरा करने और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम होता है। इस मामले में राज्य वस्तु और सेवा कर विभाग और न कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर की प्रिवेंटिव विंग या वस्तु और सेवा कर खुफिया निदेशालय को यह कार्य करना चाहिए।

(ख) उपरोक्त धारणा और घोषणा के आधार पर कि प्रारंभिक प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ और निष्कर्ष निकालना विधि का नियम है, अतः उसके बाद जारी किए गए नोटिसों (संलग्नक-3, संलग्नक-4, संलग्नक-5, संलग्नक-7, संलग्नक-8, संलग्नक-10, संलग्नक-12 श्रृंखला और संलग्नक-14) को रद्द और समाप्त किया जाए और राज्य जीएसटी को आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाए।

2. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने एक इंटरलॉक्यूटरी आवेदन आई.ए. संख्या 9286/2023 के माध्यम से याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता के बैंक खातों की अटैचमेंट को चुनौती दी गई, जिसे प्रतिवादी संख्या 5 (वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, डीजीजीआई, जमशेदपुर) द्वारा जीएसटी डीआरसी-22 फॉर्म दिनांक 30.04.2023 के माध्यम से जारी किया गया था और याचिकाकर्ता के 7 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे।

3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य बहुत सीमित क्षेत्र में आते हैं। याचिकाकर्ता मनीष ट्रेडिंग कंपनी, लालगुटवा, रांची के स्वामी हैं, जिसका जीएसटीआईएन संख्या 20AHUPN9856C2ZZ है और वे 2017-18 से आयरन और स्टील तथा सीमेंट के व्यापार का व्यवसाय कर रहे हैं। याचिका में किए गए बयान के अनुसार, खरीद और बिक्री याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जीएसटी रिटर्न में विधिवत रूप से परिलक्षित होती है और बाहरी कर देयता याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ समायोजित की जाती है।

16.03.2023 को, राज्य वस्तु और सेवा कर खुफिया ब्यूरो द्वारा एक निरीक्षण किया गया और इसके अनुसार जीएसटी आईएनएस-01 जारी किया गया। निरीक्षण के बाद, जीएसटी अधिकारियों ने खाता पुस्तकों को प्रस्तुत करने की तिथि तय की। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के नकद खाते से 34 लाख रुपये और उनकी पत्नी की फर्म से 6 लाख रुपये जमा करवाए गए।

जबकि कार्यवाही राज्य माल और सेवा कर विभाग द्वारा शुरू की गई थी, याचिकाकर्ता को केंद्रीय माल और सेवा कर, रांची की निवारक शाखा द्वारा दिनांक 10.04.2023 को एक नोटिस दिया गया था, जिसमें गैर-मौजूद इकाई से कथित खरीद के कारण ब्याज और जुर्माना के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटने का निर्देश दिया गया था।

जब दो विभाग कार्यवाही की निगरानी कर रहे थे, तब डीजीजीआई, सीजीएसटी की खुफिया शाखा द्वारा 06.06.2023 को तलाशी ली गई और विभिन्न जब्ती की गई और इस संबंध में एक पंचनामा भी तैयार किया गया। निवारक शाखा के दिनांक 10.04.2023 के पिछले नोटिसों के बाद, समय-समय पर विभिन्न नोटिस जारी किए गए, जैसे 07.06.2023; 21.06.2023 जिसमें निवारक विंग द्वारा दिनांक 26.06.2023 का समन भी शामिल है। इसके साथ ही डीजीजीआई इकाई द्वारा तलाशी लिए जाने के बाद, दिनांक 21.06.2023; 03.07.2023; 07.07.2023; 11.07.2023 और 13.07.2023 के समन के तहत एक साथ समन जारी किए गए।

24.07.2023 को फिर से याचिकाकर्ता के आवासीय फ्लैट की तलाशी ली गई और याचिकाकर्ता की पत्नी और मां श्रीमती सोनी नरसरिया और श्रीमती उषा नरसरिया का बयान दर्ज किया गया। जबकि राज्य जीएसटी (निवारक विंग) और डीजीजीआई द्वारा जारी समन पर उपस्थित होना था, याचिकाकर्ता ने जीएसटी डीआरसी 03 के तहत अलग-अलग तारीखों पर कुछ उलटफेर किए, जिससे कुल 3.42 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

इन परिस्थितियों में, चूंकि याचिकाकर्ता को जीएसटी के 3 विभागों से समन प्राप्त हुए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से यह घोषणा करने की मांग की है कि जिस प्राधिकरण ने समय से पहले कार्यवाही शुरू की है, वही कार्यवाही करने

वाला एकमात्र प्राधिकरण होगा। तर्क को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता ने अधिसूचना संख्या 39/2017-केंद्रीय कर दिनांक 13.10.2017 और स्पष्टीकरण डी.ओ.एफ. संख्या सीबीईसी/20/43/01/2017-जीएसटी (पीटी) दिनांक 5.10.2018 पर भरोसा किया है, जिसके अनुसार, यह प्रभावित करने की मांग की गई है:

3. तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय कर और राज्य कर दोनों के अधिकारी करदाता के प्रशासनिक कार्यभार पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण करदाता आधार पर खुफिया-आधारित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत कोई भी प्राधिकरण। जो प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई शुरू करता है, उसे कार्रवाई पूरी करने का अधिकार है जांच, एससीएन जारी करना, न्यायनिर्णयन, वसूली, दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न अपील आदि की सुनवाई ।
 4. दूसरे शब्दों में, यदि केंद्रीय कर प्राधिकरण का कोई अधिकारी प्रशासनिक रूप से करदाता के विरुद्ध खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन कार्रवाई राज्य कर प्राधिकरण को सौंपे जाने पर, केंद्रीय कर प्राधिकरण के अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे उक्त मामले को अपने राज्य कर समकक्ष को हस्तांतरित कर देंगे और स्वयं इस मामले को संभाल लेंगे और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना ।
 5. खुफिया-आधारित प्रवर्तन के मामले में भी यही स्थिति बनी रहेगी किसी करदाता के विरुद्ध राज्य कर अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई प्रशासनिक रूप से केन्द्रीय कर प्राधिकरण को सौंपा गया ।
4. अपने तर्कों को और पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता ने जीएसटी विंग द्वारा दिनांक 22.06.2020 के एफ. नंबर सीबीईसी-20/10/07/2019-जीएसटी वाले आंतरिक संचार पर भी भरोसा किया था, जिसमें 'क्रॉस एम्पावरमेंट पर स्पष्टीकरण' प्रदान किया गया था, जो इस प्रकार है:
- 2 संदर्भ में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा उन करदाताओं के खिलाफ शुरू की गई खुफिया आधारित प्रवर्तन कार्रवाइयां, जिन्हें राज्य कर प्रशासन को सौंपा गया है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(1) और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कवर की जाती हैं या क्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 और 55 के तहत रिफंड के उद्देश्य या इसके लिए राज्य अधिकारियों को अधिकृत करने वाली अधिसूचना संख्या 39/2017-सीटी दिनांक 13.10.2017 के समान ही क्रॉस सशक्तिकरण के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है ।

- 3.1 इस मुद्दे की जांच सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के आलोक में की गई है। यह देखा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6 राज्य कर अधिकारियों और केंद्रीय कर अधिकारियों के क्रॉस सशक्तिकरण का प्रावधान करती है और इस प्रकार कहती है: "6. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी।
- 3.2. इस प्रकार सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) और संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार संबंधित राज्य कर अधिकारी और केंद्रीय कर अधिकारी क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं और राज्य जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा इस मामले में उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम दोनों के तहत पंजीकृत संबंधित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम।
- 3.3 यह भ्रम इस तथ्य से उत्पन्न होता प्रतीत होता है कि, उक्त उप-धारा यदि इस तरह का पारस्परिक सशक्तिकरण किया जाना है तो सरकार द्वारा अधिसूचना का प्रावधान शर्तों के अधीन। इसका मतलब है कि अधिसूचना की आवश्यकता केवल तभी होगी जब कोई शर्त लगाई जानी है। उदाहरण के लिए, अधिसूचना संख्या 39/2017-सीटी दिनांक 13.10.2017 ने रिफंड के प्रयोजनों के लिए राज्य कर अधिकारियों की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें केवल धारा 54 और 55 के तहत उचित अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है सीजीएसटी अधिनियम के और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 96 के तहत नहीं (आईजीएसटी रिफंड निर्यात) यदि कोई शर्त लगाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र के अधिकारियों को सभी के लिए उचित अधिकारी नियुक्त किया गया है सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियमों का उद्देश्य।
4. इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना अधीनस्थ विधान का हिस्सा होगी, जो अधिनियम के तहत अधिकारी को सशक्त बनाने के बजाय, धारा द्वारा अधिकारियों को दी

गई शक्तियों पर शर्तें लगाने के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत क्रॉस-सशक्तिकरण की शक्ति पूर्ण है और सशर्त नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री नितिन पसारी ने श्री शुभम चौधरी की सहायता से विस्तार से तर्क दिया है और इस अदालत को राज्य जीएसटी के साथ-साथ केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों से अवगत कराया है, जो समान हैं और जिन्हें तत्काल संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया है:

6.- कुछ परिस्थितियों में राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना-

(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,-

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन भी आदेश जारी करेगा, जैसा कि राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हो, जैसा भी मामला हो, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी को सूचना देते हुए;

(ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाही प्रारंभ की है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय-वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के संशोधन, अपील और पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही, जहां कहीं लागू हो, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

श्री पसारी ने 'क्रॉस एम्पावरमेंट' के मुद्दे पर बहुत जोर दिया है, जैसे कि धारा 6(2)(बी) को दिनांक 05.10.2018 और 22.06.2020 को जारी अधिसूचना और स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाए। उनका तर्क है कि निर्विवाद रूप से और निर्विवाद रूप से, पूरी कार्यवाही राज्य जीएसटी की निरीक्षण टीम द्वारा हाल ही में 16.03.2023 को शुरू की गई थी और जिसके आधार पर, कुछ जमा भी किए गए हैं और राज्य ने समय-समय पर समन और नोटिस भी जारी किए हैं। अंतिम दिनांक 01.09.2023 को राज्य कर के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से (अन्वेषण ब्यूरो), रांची अंचल, रांची।

6. श्री पसारी ने आगे तर्क दिया है कि बैंक खातों की कुर्की जीएसटी डीआरसी 22 जारी करने का कार्य धारा 83 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, जो कि इसके विपरीत दिशानिर्देशों के संबंध में सीबीईसी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना बैंक खातों की कुर्की इस दलील को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता ने विपुल चंद्र पुरसोत्तम के मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया दास महंत बनाम सहायक आयुक्त राज्य कर गुजरात द्वारा पारित उच्च न्यायालय में आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 9488/2023 दिनांक 22.06.2023, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

5. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब प्रतिवादी संख्या 4 ने जांच शुरू की है और दस्तावेजों का निरीक्षण किया है और याचिकाकर्ता के स्थान पर निरीक्षण किया है और वर्तमान में मेसर्स जेएम एंटरप्राइज सहित पांच अलग-अलग फर्मों के संबंध में जांच चल रही है, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समन जारी किया गया था, जबकि मेसर्स गैलेक्सी एंटरप्राइज के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा समन जारी किया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान याचिका विचार करने योग्य है।

5.1. प्रतिवादी सं. 1 और 2 को निर्देश दिया जाता है कि वे दोनों फर्मों अर्थात् मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइज और मेसर्स गैलेक्सी एंटरप्राइज के संबंध में आवश्यक पूछताछ/जांच के लिए कागजात/दस्तावेज प्रतिवादी सं. 4 को हस्तांतरित करें।

5.2. याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ सहयोग करने और जांच/पूछताछ के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मांगे गए आवश्यक/अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 4 को कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने/उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2021 एससीसी में रिपोर्ट किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.01.2021 के निर्णय और ऑनलाइन डेल 3450 (आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम कमिश्नर डीजीएसटी दिल्ली एवं अन्य), जो इस प्रकार है:

"15. चूंकि केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के क्रॉस-सशक्तिकरण के संबंध में विवाद उठाए गए हैं, और यह दावा किया गया है कि अधिनियम या नियमों के तहत कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं हैं, इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालना लाभदायक होगा। इस संदर्भ में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 5 अक्टूबर, 2018 को जारी पत्र, जिसका उल्लेख गुजरात उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2019 के आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 23279 ऑफ 2019 के आदेश में भी मिलता है, जिसका शीर्षक सुरेशभाई गढ़ेचा बनाम गुजरात राज्य है, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, इस प्रकार है:

"पत्र डी.ओ.एफ. संख्या सीबीईसी/20/43/01/2017-जीएसटी(एफटी) राज्य कर प्राधिकरण को सौंपे गए करदाताओं के मामले में केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के संबंध में अस्पष्टता पर स्पष्टीकरण और इसके विपरीत पत्र डी.ओ.एफ. संख्या सीबीईसी/20/43/01/2017-जीएसटी(पीटी), दिनांक 5-10-2018 बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि इस संबंध में अस्पष्टता करदाता के मामले में केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करना राज्य कर प्राधिकरण को सौंपा जाएगा और इसके विपरीत।

2. इस संबंध में जीएसटी परिषद ने 16-1-2017 को आयोजित अपनी 9वीं बैठक में चर्चा की थी और करदाताओं के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में सिफारिशों की सहवर्ती मुद्दे। क्रॉस-सशक्तिकरण के संबंध में सिफारिश दोनों कर प्राधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाई के प्रवर्तन के लिए रिकॉर्ड किया गया है बैठक के कार्यवृत्त में एजेंडा नोट संख्या 3 का पैरा 28 इस प्रकार :-

"viii, केन्द्रीय और राज्य दोनों कर प्रशासनों को कर निर्धारण करने की शक्ति संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के संबंध में खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन कार्रवाई"।

3. तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय कर और राज्य कर दोनों के अधिकारी संपूर्ण क्षेत्र पर खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ करने के लिए अधिकृत करदाता के प्रशासनिक असाइनमेंट के बावजूद करदाता का आधार कोई भी प्राधिकरण। जो प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई शुरू करता है, उसे कार्रवाई पूरी करने का अधिकार जांच, एससीएन जारी करना, न्यायनिर्णयन,

वसूली, दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न अपील आदि की सुनवाई।

4. दूसरे शब्दों में, यदि केंद्रीय कर प्राधिकरण का कोई अधिकारी खुफिया जानकारी जुटाता है प्रशासनिक रूप से राज्य को सौंपे गए करदाता के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई कर प्राधिकरण के अधिकारी उक्त मामले को स्थानांतरित नहीं करेंगे अपने राज्य कर समकक्ष के लिए और खुद मामले को तार्किक रूप से ले जाएगा ।
5. खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन कार्रवाई के मामले में भी यही स्थिति रहेगी राज्य कर अधिकारियों द्वारा करदाता प्रशासनिक के विरुद्ध शुरू किया गया केन्द्रीय कर प्राधिकरण को सौंपा गया।
6. यह भी बताया गया है कि जीएसटीएन पहले से ही आईटी प्रणाली में बदलाव कर रहा है।

राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों के क्रॉस-सशक्तिकरण के मुद्दे पर आगे स्पष्टता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी हाल ही में जारी पत्र संख्या सीबीईसी20/10/07/2019-जीएसटी दिनांक 22 जून, 2020 में भी दिखाई देती है, जो इस प्रकार है-

"एफ. सं. सीबीईसी-20/10/07/2019-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड सीमा शुल्क

जीएसटी नीति विंग

दिनांक: 22 जून, 2020

प्रधान महानिदेशक, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, द्वितीय तल, विंग-VI, पश्चिमी ब्लॉक-VIII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

महोदय,

विषय: जीएसटी के तहत क्रॉस सशक्तिकरण पर डीजीजीआई का संदर्भ प्रपत्र।

मुझे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों के क्रॉस एम्पावरमेंट से संबंधित मुद्दों पर डीजीजीआई के दिनांक 26.05.2020 के

पत्र एफ. संख्या 574/सीई/66/2020/इन्व./15308 का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है।

2. संदर्भ में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा उन करदाताओं के खिलाफ खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की गई है जिराज्य कर प्रशासन सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(1) और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियमों के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कवर हो जाता है या फिर क्रॉस सशक्तिकरण के लिए उसी तर्ज पर एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 39/2017-सीटी दिनांक 13.10.2017 द्वारा राज्य अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए अधिकृत करने या कॉस्ट अधिनियम की धारा 54 और 55 के तहत रिफंड के लिए अधिकृत किया गया है।

3.1 इस मुद्दे की जांच सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के आलोक में की गई है। यह देखा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6 राज्य कर अधिकारियों और केंद्रीय कर अधिकारियों के बीच पारस्परिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है और इस प्रकार है:-

"6.(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत हैं।"

3.2 इस प्रकार सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) और संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार संबंधित राज्य कर अधिकारी और केंद्रीय कर अधिकारी क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं और राज्य जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा इस मामले में उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम और संबंधित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम दोनों के तहत पंजीकृत हैं

3.3 भ्रम इस तथ्य से उत्पन्न होता प्रतीत होता है कि, उक्त उपधारा में सरकार द्वारा अधिसूचना का प्रावधान है यदि इस तरह के क्रॉस एम्पावरमेंट को शर्तों के अधीन किया जाना है। इसका मतलब है कि अधिसूचना की

आवश्यकता केवल तभी होगी जब कोई शर्तें लगाई जानी हों। उदाहरण के लिए, अधिसूचना संख्या 39/2017-CT दिनांक 13.10.2017 रिफंड के प्रयोजनों के लिए राज्य कर अधिकारियों की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है और उन्हें केवल CGST अधिनियम की धारा 54 और 55 के तहत उचित अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, न कि CGST नियम, 2017 (निर्यात पर IGST रिफंड) के नियम 96 के तहत। यदि कोई शर्त लगाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र के अधिकारियों को CGST अधिनियम और SGST अधिनियमों के सभी उद्देश्यों के लिए उचित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।"

4. इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना अधीनस्थ विधान का हिस्सा होगी, जो अधिनियम के तहत अधिकारी को सशक्त बनाने के बजाय, केवल धारा द्वारा अधिकारियों को दी गई शक्तियों पर शर्तें लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत क्रॉस-सशक्तिकरण की शक्ति पूर्ण है और सशर्त नहीं है।

8. विद्वान वकील ने 2022 एससीसी ऑनलाइन कैल 862 (आइडियल यूनिफ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य), में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। जो इस प्रकार है:

- "4. हम पाते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया तत्काल मामले में नहीं अपनाई गई थी और अपीलकर्ताओं के साथ सबसे अनुचित तरीके से व्यवहार किया गया है, इस अर्थ में कि वर्ष 2018 से उसी TRAN-1 मुद्दे के लिए अपीलकर्ताओं को बार-बार बुलाया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं आदि। स्पॉट मेमो, जो 22 मार्च, 2021 के संचार के साथ अपीलकर्ताओं को सूचित किया गया है, वह भी उसी उद्देश्य के लिए है।
5. इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि एक ही विभाग के विभिन्न प्रभाग, पूर्व की कार्यवाही को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाए बिना अपीलकर्ताओं को नोटिस और सम्मन क्यों जारी कर रहे हैं।
6. इसलिए, इस आधार पर, हमारा मानना है कि 22 मार्च, 2021 के संचार के साथ प्रस्तुत किए गए स्पॉट मेमो को लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह मुद्दा कि क्या CERA ऑडिट एक निजी संस्था के खिलाफ किया जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है, इस पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इस न्यायालय का मानना है कि उक्त मुद्दे

पर अभी कोई निर्णय देना न्यायालय के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अधिकारियों ने कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया है, जो उन्होंने मई, 2018 से शुरू की थी।

7. इसलिए, संबंधित प्राधिकारी के लिए यह उचित है कि वह अपीलकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कार्यवाही को तार्किक अंत तक ले जाए।
8. हमारे सामने रखे गए अभिलेखों से, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने पहले जारी किए गए समन का जवाब न देकर विभाग के साथ सहयोग नहीं किया है। सुविधाजनक रूप से, अधीक्षक, रैंज- III, पार्क स्ट्रीट डिवीजन, सीजीएसटी और सीएक्स द्वारा जारी 22 मार्च, 2021 के संचार में अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई किसी भी पिछली कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
9. श्री पसारी ने अंत में दलील दी कि याचिकाकर्ता ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 40.00 लाख रुपये जमा किए हैं और 3.42 करोड़ रुपये की राशि वापस ले ली है, जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कोई रातों-रात करदाता नहीं है और वह अधिनियम के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि बैंक खातों की कुर्की कानून की दृष्टि से गलत है, क्योंकि यह अत्यधिक अधिकार क्षेत्र के दोषों से ग्रस्त है, क्योंकि आज तक किसी भी दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता यह समझने की स्थिति में नहीं है कि उसे किसके समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं या बयान देना है, क्योंकि याचिकाकर्ता को तीनों विभागों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, कुर्की भी कानून की दृष्टि से गलत है।
10. संबंधित प्रतिवादियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। आरोप से इनकार करते हुए कहा गया कि:

1) प्रतिवादी संख्या 5 (डीजीजीआई)

मेसर्स मनीष ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ महानिदेशक, माल एवं सेवा कर खुफिया, नई दिल्ली द्वारा एफ.सं. 56/आईएनटी/डीजीजीआई/मुख्यालय/2022 भाग 1/5584 दिनांक 06.06.2023 के तहत नोएडा के "फर्जी जीएसटी चालान गिरोह" का भंडाफोड़ करने के परिणामस्वरूप जून 2023 के महीने में नोएडा मामलों के रूप में संदर्भित किया गया है।

मेसर्स मनीष ट्रेडिंग कंपनी, प्रोप: विवेक नरसरिया (यहां याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) नोएडा के "फर्जी जीएसटी चालान गिरोह" द्वारा जारी किए गए नकली चालान के लाभ उठाने वालों में से एक है। इसलिए, डीजीजीआई,

जमशेदपुर क्षेत्रीय इकाई जमशेदपुर ने महानिदेशक माल और सेवा कर खुफिया, नई दिल्ली के निर्देशन में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 67(2) के तहत 06.06.2023 को याचिकाकर्ता के व्यवसाय के मुख्य स्थान पर तलाशी ली थी और नोएडा मामलों के "फर्जी जीएसटी चालान गिरोह" की फर्जी जीएसटीआईएन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए फर्जी जीएसटी कर चालान बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ तत्काल जांच जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, क्षेत्रीय इकाई, जमशेदपुर (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए डीजीजीआई, जेआरयू के रूप में संदर्भित) द्वारा शुरू की गई रिट के प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा संचालित किया गया था और जो डीजीजीआई, जेआरयू, जमशेदपुर में तत्काल मामले के वरिष्ठ जांच अधिकारी हैं। तत्काल कार्यवाही राज्य जीएसटी प्राधिकरण द्वारा नहीं बल्कि केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर शुरू की गई है यानी डीजीजीआई, नई दिल्ली और डीजीजीआई, जेआरयू, जमशेदपुर अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण के भीतर है, जिसे पत्र एफ.सं. सीबीईसी/20/43/01/2017-जीएसटी(पीटी) दिनांक 05.10.2018 (रिट याचिका का अनुलग्नक-19) और पत्र एफ.सं. सीबीईसी- 20/10/07/2019-जीएसटी दिनांक 22.06.2020 (रिट याचिका का अनुलग्नक-20) के साथ पढ़ा जाए ताकि तत्काल जांच को आगे बढ़ाया जा सके और समाप्त किया जा सके। अब तक की गई जांच से पता चला है कि पूरे भारत में कई फर्जी जीएसटीआईएन संस्थाएं बनाई गई हैं, जो फर्जी बिल तैयार करने और लक्षित लाभार्थी फर्मों के जीएसटीआर-2ए में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्वचालित रूप से भरने के उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति (व्यक्तियों) के स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार संख्या का दुरुपयोग कर रही हैं। ये बनाई गई जीएसटीआईएन संस्थाएं वास्तविक व्यावसायिक संस्था नहीं हैं, जो वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कर रही हैं क्योंकि उनके संबंधित आयकर रिटर्न उनके जीएसटीआईएन लेनदेन के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा, अब तक की गई जांच से यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली इत्यादि अन्य राज्यों की जीएसटीआईएन संस्थाओं से फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है और इसे बिहार, ओडिशा इत्यादि अन्य राज्यों की जीएसटीआईएन संस्थाओं को देकर इसका उपयोग किया है

6. वर्तमान कार्यवाही राज्य जीएसटी प्राधिकरण द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर अर्थात् डीजीजीआई, नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई है और इस प्रकार डीजीजीआई, जेआरयू, जमशेदपुर अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में है, जिसे पत्र एफ.सं. सीबीईसी/20/43/01/2017-जीएसटी

(पीटी) दिनांक 05.10.2018 और पत्र एफ.सं. CBEC-20/10/07/2019-
जीएसटी दिनांक 22.06.2020 के साथ पढ़ा जाए।

2) प्रतिवादी संख्या 4 (सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची)

5. सीजीएसटी के अन्य गठन अर्थात सीजीएसटी और सीएक्स, जमशेदपुर आयुक्तालय, सीजीएसटी और सीएक्स, रायपुर आयुक्तालय द्वारा तत्काल कार्यवाही शुरू की गई है और आगे की अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा शुरू की गई है।

7. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई जांच ई-वे बिल डेटा के खुलासे पर आधारित है कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों से संबंधित कई फर्जी जीएसटीआईएन संस्थाओं से फर्जी जीएसटी कर चालान प्राप्त किए थे और बदले में विभिन्न जीएसटीआईएन संस्थाओं को समान मात्रा में फर्जी जीएसटी चालान की आपूर्ति की थी

3) प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 (झारखंड राज्य)

10. रिट याचिकाकर्ता उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के अधीन एक करदाता है और इसलिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी इसकी जांच करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।

17. उत्तर देने वाले प्रतिवादियों द्वारा की जा रही जांच न्यायसंगत, उचित एवं कानून के अनुसार है।

11. बहस के दौरान, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील, श्री रत्नेश कुमार, वरिष्ठ स्थायी वकील ने राज्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यवाही शुरू करने और डीजीजीआई के समक्ष कार्यवाही में अंतर करने की कोशिश की है और डीजीजीआई द्वारा नोएडा में माल की आपूर्ति के बिना नकली बिल जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने पर बहुत कुछ कहा गया है।

12. राज्य के विद्वान वकील ने यह साबित करने की कोशिश की है कि राज्य जीएसटी अधिकारियों की कार्यवाही सीजीएसटी या जीएसटीआर 12 की कार्यवाही से ओवरलैप नहीं होती है। डीजीजीआई.

13. सी.जी.एस.टी. के विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 5 के तर्कों को शब्दशः स्वीकार कर लिया है।
14. संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों और संबंधित जवाबी हलफनामों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों में दिए गए बयानों और कथनों का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 6, विशेष रूप से धारा 6(2)(बी) को 05.10.2018 के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने पर। आगे 22.06.2020 के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है और निहित करता है कि यह अधिनियम के तहत होने वाली एक विशेष घटना की श्रृंखला है और किसी भी विभाग के इशारे पर की गई प्रत्येक जांच/जांच आपस में जुड़ी हुई हैं। भले ही, हम प्रतिवादी संख्या 5 की यह दलील स्वीकार कर लें कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही नोएडा से प्राप्त सूचना के आधार पर है; उस स्थिति में भी, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि डीजीजीआई इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत/अस्वीकार्य लाभ के संबंध में जांच करने में राज्य जीएसटी प्राधिकरणों की विश्वसनीयता और क्षमता के बारे में सवाल उठा रहा है, क्योंकि डीजीजीआई के अधिकारियों को राज्य जीएसटी प्राधिकरणों के अधिकारियों की तुलना में कोई विशेष शक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
15. हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करने में थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि राज्य प्राधिकरणों ने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत/अवैध लाभ के लिए यही कार्यवाही शुरू की है। निस्संदेह, राज्य प्राधिकरणों या निवारक विंग या डीजीजीआई के कहने पर कार्यवाही प्रारंभिक चरण में है और राज्य प्राधिकरणों द्वारा 'तलाशी और जब्ती' के आधार पर कार्यवाही समय के लिहाज से पहले की है। इसलिए, धारा 6(2)(बी) को 05.10.2018 के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाए तो याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को और मजबूत करता है और स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि चूंकि सभी चूंकि कार्यवाही परस्पर संबंधित हैं, इसलिए राज्य प्राधिकारियों को कार्यवाही जारी रखनी चाहिए।
बैंक खाते की कुर्की का मुद्दा भी उठाया गया है, जिसे हम समझने में असफल रहे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी अनियमित/अस्वीकार्य/गलत लाभ के निर्धारण या निष्कर्ष से पहले बैंक खाते को कुर्क करना पड़ा, जो याचिकाकर्ता को किसी विशेष प्राधिकारी के अधीन करने के लिए दबाव डालने का एक तरीका प्रतीत होता है, जो अधिनियम का नियम नहीं हो सकता और हम इसकी निंदा करते हैं।
16. इसलिए हमारा यह मत है कि सीजीएसटी की निवारक शाखा और सीजीएसटी की डीजीजीआई शाखा, याचिकाकर्ता और अंतर-संबंधित लेनदेन के विरुद्ध की गई अपनी

समस्त जांच को राज्य प्राधिकारियों को अग्रेषित करेगी, जो उसी चरण से कार्यवाही जारी रखेंगे।

17. परिणामस्वरूप, हम प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को निर्देश देते हैं कि वे अब तक की गई संपूर्ण जांच को प्रतिवादी संख्या 3 को सौंप दें, जो कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्यवाही करेंगे।
18. हम प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हैं कि वह हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में बैंक खातों को डी-फ्रीज करने के संबंध में तत्काल निर्णय लें।
19. परिणामस्वरूप, इस रिट आवेदन का निपटारा ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है। लंबित आई.ए., यदि कोई हो, भी बंद हो जाता है।

(रौंगन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति)
(दीपक रोशन, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय
दिनांक - 15/01/2024
अमरदीप
एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।